



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 09.09.2024

थाना बालैनी पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

अंकुर पुत्र राजवीर निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अनील शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 333 सतेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 09.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 599/24 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.09.2024 को वादी चरण सिंह पुत्र उमराव सिंह निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों



1.वेदपाल पुत्र श्रीचन्द, 2.सन्दीप पुत्र वेदपाल व 3.वेदपाल की पत्नी निवासीगण ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा उसके लड़के रजनीश की लाठी-डण्डों से मारपीट की गयी, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 599/24 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के 599/24 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

01-वेदपाल पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम बावली थाना बडौत जनपद बागपत ।

02- एक महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना प्रभारी श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-म0उ0नि0 बबिता चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 41 अनुज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 19 अमित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-का0 1029 नीलेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 09.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम

व पता-

फरमान पुत्र अलताफ निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 226 धर्मेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 09.09.2024

थाना बडौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर सट्टे की खाईबाडी करते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, डायरी व पैस 380 रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ की खाईबाडी करते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, डायरी व पैस 380 रूपये नगद बरामद हुए हैं ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 600/24 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय उर्फ टिण्डा पुत्र धर्मवीर निवासी पट्टी चौधरान करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 सट्टा पर्चा, डायरी ,पैन ।
- 380 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह थाना बडौत ।
- 2-का0 1102 सुशान्त सिंह थाना बडौत ।
- 3-का0 1030 शुभम सारस्वत थाना बडौत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 09-09-2024

थाना बडौत पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित ड्रग माफिया अभियुक्ता सन्जो उर्फ खाला पत्नी वकील के 03 मकान जिनकी कुल कीमत 38,01,000/- रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में आज दिनांक 09.09.2024 को थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 506/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्ता सन्जो उर्फ खाला पत्नी वकील निवासी गुराना रोड गली नं0 06 मौहल्ला पठान कोट कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा



अपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त होकर अनुचित तरीके से अर्जित धन से दो मकान गुराना रोड कस्बा बडौत पर क्रमशः 42.63 वर्ग मीटर व 165.60 वर्ग मीटर व तीसरा मकान व दुकान ग्राम सवाखेडी थाना बडौत में 75.40 वर्ग मीटर का पुनः निर्माण व सौन्दर्यीकरण कराया गया, (जिनकी कुल कीमत 38,01,000/- रुपये) को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेशानुसार उप जिला मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी

बडौत जनपद बागपत द्वारा कुर्क किया गया तथा जब्त सम्पत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया गया ।

कुर्क सम्पत्ति का विवरण-

- दो मकान गुराना रोड कस्बा बडौत पर क्रमशः 42.63 वर्ग मीटर व 165.60 वर्ग मीटर ।
- तीसरा मकान व दुकान ग्राम सवाखेडी थाना बडौत में 75.40 वर्ग मीटर का पुनः निर्माण व सौन्दर्यीकरण कराया गया ।
- कुल सम्पत्ति की कीमत 38,01,000/- रूपये ।

अभियुक्ता सन्जो उर्फ खाला पत्नी वकील का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 145/19 धारा 147/148/149/452/323 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 559/2023 धारा 147/148/149/323/307/452/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 1078/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 393/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 506/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 09.09.2024

थाना बिनौली पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत



थाना बिनौली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-शाहिद पुत्र नानू निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-राशिद पुत्र नानू निवासी ग्राम बरनावा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-09.09.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 262/2024 धारा 308(6) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.09.2024 को थाना दोघट पर वादी श्री मीठू सिंह पुत्र मुकन्दा निवासी ग्राम खपराना थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त मनोज उर्फ छतरा पुत्र रामपाल निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा उसके व उसके रिश्तेदार रीटा को हत्या के मुकदमे में झूठा जेल भिजवाने का भय दिखाकर 02 लाख रूपये मांगे गये थे तथा 01 लाख 05 हजार रूपये ले लिये व वापस नहीं किये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 262/2024 धारा 308(6) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने पर मु0अ0सं0 262/2024 धारा 308(6) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

छत्रपाल उर्फ मनोज उर्फ छतरा पुत्र रामपाल निवासी पट्टी भोजान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 किशोर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

2- का0 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

